**उच्च न्यायालय पटना का क्षेत्राधिकार**

**2016 की सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला 2608**

==========

मीना देवी उर्फ मीना कुमारी, पत्नी मनोज कुमार साहनी, निवासी- गाँव- हरपुर बलरा, पोस्ट- बलरा इश्माएल, थाना- मनियारी, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

.... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य सचिव, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. कलेक्टर सह अध्यक्ष, बिहार शिक्षा परियोजना, रामबाग, जिला-मुजफ्फरपुर।
4. कलेक्टर, मुज़फ़्फ़रपुर।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान बिहार शिक्षा परियोजना,
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर।
7. जिला शिक्षा अधीक्षक सह संयोजक, सुख सुबीधा समिति, जिला-मुजफ्फरपुर
8. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, हरपुर बलरा, थाना- मनियारी, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।
9. मुखिया सह अध्यक्ष, सुख सुबीधा समिति, ग्राम पंचायत राज, हरपुर बलरा, थाना-मनियारी,
10. निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

..... ..... उत्तरदाता/ओं

==========

**उपस्थिती:**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुरेश चन्द्र गिरी

उत्तरदाताओं के लिए : श्री कुमार आलोक, एस सी 8

==========

*वर्तमान रिट आवेदन प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए दायर किया गया है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें, जो मध्य विद्यालय, ग्राम पंचायत राज हरपुर बलरा में पंचायत शिक्षा मित्र / पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए है। उसने 2004 में प्रस्तुत अपने आवेदन के आधार पर ईबीसी श्रेणी के तहत पात्रता का दावा किया था।*

*याचिकाकर्ता को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में कम वेटेज अंकों के कारण 2005 की नियुक्ति सूची में चयनित नहीं किया गया था। उसने आरोप लगाया कि कुछ रिक्तियां खाली रह गईं।*

*जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुजफ्फरपुर ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच के बाद ज्ञापांक संख्या 1249 दिनांक 01.07.2015 के तहत निष्कर्ष निकाला कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियमावली 2006 के लागू होने के बाद 01.07.2006 के बाद पीएसएम के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।*

*समाप्त कर दिया गया था, और व्यक्ति केवल अपने पूर्व आवेदनों या पैनल के आधार पर रोजगार का दावा नहीं कर सकते हैं।*

*बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2006 के लागू होने के बाद; कोई भी व्यक्ति पी.एस.एम. पंचायत शिक्षक के रूप में पूर्वव्यापी रूप से नियोजित, रोजगार / माने गए रोजगार का दावा नहीं कर सकता है जैसा कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने श्रीमती रेणु कुमारी पांडे और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में पारित निर्णय में कहा था, जो 2011 में रिपोर्ट किया गया था(4) पीएलजेआर 297 (डीबी)। उक्त खंडपीठ के फैसले की पुष्टि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कल्पना रानी बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में की है, जो 2014 में रिपोर्ट किया गया था(2) पीएलजेआर 665 (एफबी)।*

*बेशक याचिकाकर्ता 01.07.2006 को पी.एस.एम. के रूप में कार्यरत नहीं था, यानी पी.एस.एम. के पंचायत शिक्षक के रूप में रूपांतरण के समय। तदनुसार, याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के रूप में रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और / या उस पद पर पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है जो याचिकाकर्ता के अनुसार पंचायत शिक्षक की नियुक्ति के समय रिक्त था।*

*परिणामस्वरूप, इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।*

*रिट आवेदन खारिज किया जाता है।*

==========

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

==========

**समक्षः- माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा,**

**मौखिक निर्णय**

**तारीखः20-04-2024**

1. वर्तमान रिट आवेदन प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए दायर किया गया है कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करे तथा मध्य विद्यालय, ग्राम पंचायत राज हरपुर बलरा में पंचायत शिक्षा मित्र/पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति करे।

2. याचिकाकर्ता ने 12.10.2004 को विज्ञापित 15 रिक्तियों के विरुद्ध ईबीसी श्रेणी के तहत पंचायत शिक्षा मित्र (संक्षेप में "पी.एस.एम.") के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। 30.05.2005 को चयनित पी.एस.एम. की सूची प्रकाशित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, मुजफ्फरपुर के जनता दरबार में एक अभ्यावेदन दायर किया।

3. याचिकाकर्ता को बताया गया कि ई.बी.सी. श्रेणी में पी.एस.एम. की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों में से याचिकाकर्ता को कम वेटेज अंक अर्थात 10 अंक प्राप्त हुए तथा याचिकाकर्ता से अधिक वेटेज अंक 15 एवं 14 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने ज्ञापांक 1249 दिनांक 01.07.2015 के माध्यम से याचिकाकर्ता की शिकायत पर जांच के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 के लागू होने के पश्चात 01.07.2006 के पश्चात किसी भी व्यक्ति को पी.एस.एम. के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 30.05.2005 की चयन सूची से पता चलता है कि संबंधित ग्राम पंचायत में 15 रिक्तियों में से केवल 12 उम्मीदवारों का चयन किया गया और 03 पद रिक्त रह गए। प्राथमिक/मध्य विद्यालय, ग्राम पंचायत राज हरपुर बलरा में विद्यमान 06 रिक्तियों के सापेक्ष केवल 05 उम्मीदवारों का चयन किया गया और 01 पद अभी भी रिक्त है और याचिकाकर्ता मध्य विद्यालय में उक्त रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति चाहती है।

6. प्रतिवादी संख्या 7/राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के लागू होने के बाद पी.एस.एम. का पद समाप्त हो गया तथा पी.एस.एम. की नियुक्ति से संबंधित सभी नियम/संकल्प/आदेश/निर्देश दिनांक 01.07.2006 से अमान्य हो गए। वे मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी ज्ञापांक 108 दिनांक 01.02.2007 का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार दिनांक 01.07.2006 के बाद पी.एस.एम. के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता ने अपने दावे के आधार पर मध्य विद्यालय, ग्राम पंचायत हरपुर बलरा में पंचायत शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति की मांग की है कि उसने वर्ष 2004 में पी.एस.एम. के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और मध्य विद्यालय, ग्राम पंचायत हरपुर बलरा में एक पद रिक्त था, जिस पर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जाना चाहिए।

8. चूंकि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2006 के लागू होने के पश्चात 01.07.2006 को पी.एस.एम. का पद समाप्त हो गया था, अतः कोई भी व्यक्ति पी.एस.एम./पंचायत शिक्षक के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से नियोजित नहीं हो सकता, नियोजन/मान्य नियोजन का दावा नहीं कर सकता, जैसा कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने श्रीमती रेणु कुमारी पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय में कहा है, जो 2011(4) पी.एल.जे.आर. 297 (डी.बी.) में रिपोर्ट किया गया था। उक्त खंडपीठ के निर्णय की पुष्टि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कल्पना रानी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में की है, जो 2014(2) पी.एल.जे.आर. 665 (एफ.बी.) में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें पैरा संख्या 118 में निम्न प्रकार से निर्णय दिया गया था:-

> "118. इस प्रकार अपने गहन विचार-विमर्श के पश्चात्, मेरा यह मत है कि 01.07.2006 के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, जो पूर्व में पंचायत शिक्षा मित्र के पद के लिए आकांक्षी था, केवल इसलिए नियुक्त

नहीं किया जा सकता कि उसका नाम पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल में था। 01.07.2006 से पंचायत शिक्षा मित्र का पद समाप्त कर दिया गया है तथा पद समाप्त होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को केवल पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल में शामिल होने के आधार पर पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। श्रीमती रेणु कुमारी पाण्डेय (सुप्रा) के मामले में खण्डपीठ द्वारा लिया गया निर्णय एक अच्छा कानून है। मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि किशोरी प्रसाद (सुप्रा) मामले में पहले के डिवीजन बेंच के फैसले ने, ऊपर बताए गए कारणों से, कानून का सही ढंग से फैसला नहीं किया है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया गया है।

9. वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता 01.07.2006 को पी.एस.एम. के रूप में कार्यरत नहीं था, अर्थात पी.एस.एम. के पंचायत शिक्षक के रूप में रूपांतरण के समय। तदनुसार, मेरी राय में, याचिकाकर्ता को पी.एस.एम. के रूप में रोजगार/माने गए रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और / या उस पद पर पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है जो याचिकाकर्ता के अनुसार पी.एस.एम. की नियुक्ति के समय रिक्त था।

10. मुझे इस आवेदन में कोई योग्यता नहीं दिखती।

11. आवेदन खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

अश्विनी

/प्रफुल्ल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।